कारपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कारपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उपयुक्त कारपोरेट अभिशासन विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उपयुक्त अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है, जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- ग्राहक सेवा तथा निष्पादन संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतः प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हो, तो उसकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अनुसार बैंक ने कारपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले अपवाद हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। बैंक में कारपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) से हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की संपूर्ण निगरानी;
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभ में अधिकाधिक वृद्धि करना।

केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च 2016 को बोर्ड में नौ अन्य निदेशक थे, जो प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त, अर्थशास्त्र तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। इस तरह बोर्ड में अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक के रूप में पूर्णकालिक निदेशक कार्यरत हैं। दिनांक 31 मार्च 2016 को केंद्रीय बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित चार निदेशक,
- धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक,
- धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), और
- धारा 19 (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकारी)।

बोर्ड का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की बारह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तारीख और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीख और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या	:	12
बैठकों की तारीख	:	22.04.2015, 22.05.2015, 26.06.2015, 22.07.2015, 11.08.2015, 10.09.2015, 19.10.2015, 06.11.2015, 09.12.2015, 11.01.2016, 11.02.2016, 30.03.2016

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष और श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कारपोरेट बैंकिंग समूह) एवं श्री सुनील मेहता, निदेशक सभी बारह बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक (कारपोरेट बैंकिंग समूह) (31.10.2015 तक)	07	07
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - एएण्डएस	12	11
श्री रजनीश कुमार प्रबंध निदेशक - सी एंड आर (26.05.2015 से 31.10.2015 तक) और प्रबंध निदेशक - एनबीजी (01.11.2015 से)	10	09
श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - सी एंड आर (02.11.2015 से)	05	05
श्री संजीव मल्होत्रा	12	07
श्री एम. डी. माल्या	12	09
श्री दीपक आई. अमिन	12	09
श्री एस.के. मुखर्जी (03.10.2015 तक)	06	05
डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	04	01
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	06	04
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	12	06
डॉ. हसमुख अढ़िया (02.09.2015 तक)	05	00
डॉ. गिरीश के. आहूजा (28.01.2016 से)	02	02
डॉ. पुष्पेन्द्र राय (28.01.2016 से)	02	02
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल (03.09.2015 से)	07	02
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	12	07

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

कारपोरेट अभिशासन

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष	52	51
2.	श्री पी. प्रदीप कुमार, प्रबंध निदेशक - सी बी जी (31.10.2015 तक)	30	29
3.	श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक - एन बी जी (31.10.2015 तक) एवं प्रबंध निदेशक - सी बी जी (01.11.2015 से)	52	45
4.	श्री वी.जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक - ए एंड एस	52	45
5.	श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक -सी एंड आर (26.05.2015 से 31.10.2015 तक) और प्रबंध निदेशक - एन.बी.जी. (01.11.2015 से)	45	40
6.	श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक - सी एंड आर (02.11.2015 से)	22	18
7.	श्री संजीव मल्होत्रा	52	33
8.	श्री एम.डी. माल्या	52	39
9.	श्री सुनील मेहता	52	50
10.	श्री दीपक आइ. अमिन	52	44
11.	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	52	01
निदेशकगण, जो सामान्यतः वहाँ के निवासी नहीं हैं, जिस स्थान पर बैठकें हुई, परंतु बैठक के दिन उस स्थान पर उपस्थित थे, जहाँ बैठक हुई।			
12.	श्री एस.के. मुखर्जी (03.10.2015 तक)	04	04
13.	डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	01	01
14.	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	13	13
15.	श्री त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी	04	04
16.	डॉ. गिरीश के. आहूजा (28.01.2016 से)	01	01
17.	डॉ. पुष्पेन्द्र राय (28.01.2016 से)	01	01

बोर्ड स्तरीय अन्य समितियाँ :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय दस समितियाँ गठित की हैं। ये हैंः लेखा-परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, ग्राहक सेवा समिति, प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और इरादतन चूककर्ताओं/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के लिए समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं, जिनमें प्रमुख क्षेत्र हैं - लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान और ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान का अनुमोदन देने हेतु पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है। अन्य समितियों की बैठकें केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा कैलेन्डर के अनुसार आवधिक रूप में, सामान्यतः तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 30 मार्च 2016 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक करती है, जहाँ तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/ विनिर्देशों का उल्लंघन न हो।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय है बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है, ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है :

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- लेखांकन के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 का अनुपालन;
- घोष समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' निर्धारित किया गया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

संरचना एवं वर्ष 2015-16 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में आठ सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा चार गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 11

बैठकों की तारीखें : 08.04.2015,21.05.2015,30.06.2015,29.07.2015,10.08.2015,05.10.2015,05.11.2015,14.12.2015, 18.01.2016, 10.02.2016, 22.03.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री संजीव मल्होत्रा - समिति के अध्यक्ष (21.04.2015 तक)	01	01
श्री सुनील मेहता, समिति के अध्यक्ष - 22.04.2015 से एवं समिति के सदस्य (21.04.2015 तक)	11	11
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक)	06	05
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (31.10.2015 तक) एवं एमडी - सीबीजी (01.11.2015 से)	11	09
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - एएण्डएस (वैकल्पिक सदस्य)	-	03
श्री रजनीश कुमार, एमडी - सी एंड आर (26.05.2015 से) एवं एम डी - एन बी जी (01.11.2015 से)	01	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर (06.11.2015 से)	04	04
श्री एम. डी. माल्या	11	09
श्री दीपक आइ. अमिन (26.06.2015 से)	09	07
डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	04	00
डॉ. हसमुख अढ़िया (02.09.2015 तक)	05	00
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल (03.09.2015 से)	06	00
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	11	06

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें आठ सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में न्यूनतम चार और प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है। वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या	:	4
बैठकों की तारीखें	:	30.06.2015, 23.09.2015, 19.11.2015, 24.02.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक)	02	01
श्री बी. श्रीराम, एमडी-एनबीजी (31.10.2015 तक वैकल्पिक सदस्य के रूप में) एवं एमडी - सी बी जी (01.11.2015 से)	04	03
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - ए एंड एस (वैकल्पिक सदस्य)	-	02
श्री रजनीश कुमार, एमडी - सी एंड आर (26.06.2015 से 31.10.2015 तक)	01	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर (06.11.2015 से)	02	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री एम. डी. माल्या	04	02
श्री सुनील मेहता	04	03
श्री दीपक आई. अमिन	04	04
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	04	02
डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	01	00

हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉन्डों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारक संबंध समिति (जो पहले बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जानी जाती थी) का गठन 30 जनवरी 2001 को किया गया था। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें पाँच सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की वर्ष 2015-16 के दौरान चार बैठकें हुईं, जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4
बैठकों की तारीखें : 17.04.2015, 16.07.2015, 15.10.2015, 28.01.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री एम. डी. माल्या - समिति के अध्यक्ष	04	03
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (25.06.2015 तक)	01	01
श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - ए एण्ड एस	04	04
श्री रजनीश कुमार, एमडी - सी एंड आर (26.06.2015 से 31.10.2015 तक) एवं एमडी - एनबीजी (01.11.2015 से)	03	03
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक आई. अमिन	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा (22.04.2015 तक और 6.11.2015 से 29.03.2016 तक)	02	01
डॉ. राजीव कुमार (05.08.2015 तक)	02	00
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	02	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान): 1085

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न हुआ हो ऐसी शिकायतों की संख्या: निरंक

लंबित, शिकायतों की संख्या: निरंक,

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री अनिल कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, (अनुपालन) एंव अनुपालन अधिकारी।

बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशि (1 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (यदि हो तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों का और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय शुरू कराना। इस समिति को पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित किया गया था। इसमें आठ सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए गठित विशेष समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 29.05.2015, 26.08.2015, 16.12.2015, 16.03.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक)	02	01
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (31.10.2015 तक) और एमडी - सीबीजी (01.11.2015 से - वैकल्पिक सदस्य)	02	02
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी (06.11.2015 से)	02	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर (06.11.2015 से)	02	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री एम.डी. माल्या	04	03
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक आई. अमिन	04	03
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	04	04
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	02	02

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार लाना इसका उद्देश्य है। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 30.04.2015, 05.08.2015, 27.10.2015, 04.02.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री पी. प्रदीप कुमार एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	03	03
श्री बी श्रीराम, एमडी - एनबीजी (31.10.205 तक) एवं एमडी - सीबीजी (01.11.2015 से)	04	03
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी - ए एंड एस (05.11.2015 तक)	03	01
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी (06.11.2015 से)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा, (06.11.2015 से और 29.03.2016 तक)	01	00
श्री एम.डी. माल्या	04	01
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक आई. अमिन	04	03
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	02	02
श्री एस. के. मुखर्जी (03.10.2015 तक)	02	01

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यनीतिक भूमिका का निर्वाह किया है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

i) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

ii) यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

iii) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश की जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन है और बजट स्वीकार्य है;

iv) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की प्रबंधन द्वारा की जाने वाली निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल निधियों की निगरानी करना; और

v) सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन का आकलन और व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान (अर्थात वचनबद्धता के अनुसार लाभ) की समीक्षा करना।

यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की पाँच बैठकें हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 5

बैठकों की तारीखें : 18.06.2015, 09.09.2015, 10.11.2015, 17.02.2016, 01.03.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री दीपक आई. अमिन, समिति के अध्यक्ष	05	05
श्री पी. प्रदीप कुमार, एमडी - सीबीजी (31.10.2015 तक)	02	02
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (31.10.2015 तक) एवं एमडी-सीबीजी (01.11.2015 से)	05	05
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी-ए एंड एस (वैकल्पिक सदस्य)	-	01
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर (06.11.2015 से)	03	02
श्री संजीव मल्होत्रा	05	03
श्री एम.डी. माल्या	05	04
श्री सुनील मेहता	05	05

बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया। समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई। इसमें छह सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की सीएसआरसी बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीखें : 22.04.2015, 19.08.2015, 15.10.2015, 28.01.2016

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित थे
श्री बी. श्रीराम, एमडी - एनबीजी (05.11.2015 तक)	03	02
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी - ए एंड एस	04	04
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी (06.11.2015 से)	01	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	03
श्री एम.डी. माल्या	04	03
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक आई. अमिन	04	02
श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह (23.09.2015 तक)	02	00
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (06.11.2015 से 29.03.2016 तक)	01	00

कारपोरेट अभिशासन

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 30 मार्च 2016 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो गैर कार्यपालक निदेशक - श्री एम. डी. मल्या और श्री दीपक आई. अमीन शामिल हैं। इस समिति ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की प्रोत्साहन राशि की जांच कर उसका भुगतान करने की संस्तुति की है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सलाह पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई। समिति पिछली बार 30 मार्च 2016 को पुनर्गठित की गई थी। समिति में छह सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं, जिनमें अनर्जक आस्ति प्रबंधन और बैंक के बड़ी राशि के अनर्जक आस्ति खातों की समीक्षा की गई।

इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के लिए समीक्षा समिति

इस समिति का गठन केंद्रीय बोर्ड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार किया गया था। प्रबंध निदेशके, कॉरपोरेट बैंकिंग समूह इस समिति के अध्यक्ष हैं और कोई भी दो स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होते हैं। इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणियों का पता लगाने के लिए गठित समिति (एक समिति जिसमें बैंक के उप प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो किसी ऋणी के इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले ऋणी होने के तथ्यों और रेकार्डों की जांच करती है) के आदेश की समीक्षा करती है और पुष्टि करती है इस आदेश को अंतिम मान लिया जाए।

बोर्ड की नामांकन समिति

शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक, जब-जब भी आवश्यक हो, तीन स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित करता है।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) हो ऐसे प्रत्येक केन्द्र में स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्य और विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। दिनांक 31 मार्च 2016 को आठ स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष छह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला बैठक-शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप होता है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक-शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 20 जुलाई 2015 से केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए 20,000 हजार रुपए (पूर्व में 10,000/- रुपए) और बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए 10,000/- रुपए (पूर्व में 5,000/- रुपए) बैठक-शुल्क दिया जाता है, किंतु बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को बैठक-शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक -V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

बैंक ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड एवं उनकी समितियों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए, निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है, जिसे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अभिलेखित किया गया।

निदेशकों को कारपोरेट अभिशासन की बेहतर जानकारी प्रदान करने के प्रयास के रूप में बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें कीं :

1. बैंक के बोर्डों से इस समय की जा रही भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेक अपेक्षाओं और अभिशासन से संबंधित चिंताओं को देखते हुए बोर्ड के लिए अल्पावधि 'विज़न 2018' रूपरेखा के बारे में दो दिन की कार्यनीतिक बैठक 8 और 9 मई 2015 को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, ताकि हाल ही में हुए परिवर्तनों की जानकारी बोर्ड को हो सके और बोर्ड अभिशासन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा कार्रवाई योग्य बिंदु निर्धारित किए जा सकें। इस बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सामयिक विषयों पर मस्तिष्क मंथन सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में अंतरराष्ट्रीय रुझानों; चिंतन प्रमुख संस्थानों के बोर्डों द्वारा अनपाए गए सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों को ध्यान में रखकर कारगर, तीक्ष्ण और पारदर्शी अभिशासन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सत्र-संचालन गवर्नेंस, जोखिम, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों के प्रख्यात पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा किया गया। बैठक के दौरान बोर्ड ने अपनी अपेक्षाएं प्रकट कीं और व्यवसाय वृद्धि के लक्ष्य तथा प्रमुख वित्तीय मापदंड तय किए एवं प्रत्येक व्यवसाय समूह से अपनी-अपनी निगरानी योग्य कार्य योजना निर्दिष्ट लक्ष्यों तथा विशेष उपलब्धियों के साथ प्रस्तुति की व्यवस्था कराई। विस्तृत कार्य-योजना निर्धारित समय-सीमा और उत्तरदायी व्यक्ति की जानकारी सहित केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत की गई, जिसमें विभिन्न कार्यनीतिक पहलों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हुए प्रगति रिपोर्ट का समावेश था।

2. (i) सुप्रसिद्ध कारपोरेट अभिशासन विशेषज्ञ डॉ.कॉलिन कुलसन-थॉमस द्वारा संचालित कारपोरेट अभिशासन एवं निदेशक उत्कृष्टता कार्यक्रम, जो क्वेस्ट द्वारा 9 से 11 मार्च 2016 तक मलेशिया के फ्रंटियर पीटीई लि. में आयोजित किया गया था, में दो निदेशकों ने सहभागिता की।

(ii) सेंटर फॉर एड्वांस्ड् फाइनेंशल रिसर्च एंड लर्निंग (सी ए एफ आर ए एल) द्वारा 17 से 19 मार्च 2016 तक आयोजित कार्यक्रम में दो गैर कार्यपालक निदेशकों ने सहभागिता की। यह कार्यक्रम सरकारी बैंकों के बोर्ड के गैर कार्यपालक निदेशकों के लिए था। बैंकों से संबंधित विनियामक, पर्यवेक्षी एवं अभिशासन संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता एवं समझ पैदा करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य था।

(iii) बैंकों में आइएनडी-एएस के कार्यान्वयन की रूपरेखा के बारे में प्रस्तुति की व्यवस्था अग्रणी सनदी लेखाकार फर्म मेसर्स कल्याणीवाला एंड मिस्त्री के माध्यम से की गई।

निदेशकों का परिचय कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.sbi.co.in /www.statebankofindia.com में कारपोरेट गवर्नेंस लिंक में उपलब्ध है।

4. वर्ष 2015-16 में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को भुगतान किया गया वेतन एवं भत्ते

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	प्रोत्साहन	अन्य बकाया	कुल पारिश्रमिक
अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)	960000.00	1142400.00	700000.00	307918.49	3110318.49
प्रबंध निदेशक श्री पी. प्रदीप कुमार (01.04.2015 से 31.10.2015 तक)	553295.00	658421.05	600000.00	481990.81	2293706.86
श्री बी. श्रीराम (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)	926385.00	1102398.15	425000.00	949335.36	3403118.51
श्री वी. जी. कन्नन (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)	926385.00	1102398.15	425000.00	630271.33	3084054.48
श्री रजनीश कुमार (26.05.2015 से 31.03.2016 तक)	789997.90	934690.73	62500.00	1080142.42	2867331.05
श्री प्रवीण कुमार गुप्ता (02.11.2015 से 31.03.2016 तक)	374983.34	446230.17	195833.00	65063.11	1082109.62

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

दिनांक 2 जुलाई 2015 को आयोजित वर्ष 2014-15 की वार्षिक महासभा में 8 निदेशक उपस्थित रहे। ये हैं श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, श्री पी. प्रदीप कुमार, श्री बी. श्रीराम, श्री वी.जी. कन्नन, श्री रजनीश कुमार, श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह, श्री एस.के. मुखर्जी, श्री एम.डी. माल्या एवं श्री सुनील मेहता। वार्षिक महासभा (2013-14) 3 जुलाई 2014 को और वार्षिक महासभा (2012-13) 21 जून 2013 को आयोजित हुई थी। ये तीनों वार्षिक महासभाएं वाइ.बी. चव्हाण केंद्र, मुंबई में अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गईं और पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। पिछले वर्षों के दौरान डाक मत पत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था और न ही डाक मत पत्र से कोई प्रस्ताव पारित करने की कोई योजना है।

प्रकटीकरण

- बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों या संबंधियों आदि से ऐसा कोई वस्तुतः महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है, जो बृहत् रूप में बैंक के हितों के विरुद्ध जाता हो।
- बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है। पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

■ बैंक की विसल ब्लोअर नीति भारत सरकार के जन हित प्रकटीकरण एवं मुखबीर संरक्षण (पीआईडीपीआई) मानदंडों पर आधारित है। बैंक के सभी स्टाफ के लिए उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली एक ऐसी नीति है, जो बैंक में साथी कर्मचारियों, वरिष्ठों के अनैतिक, भ्रष्ट कार्यों को बाहर करने के लिए विसल ब्लोअर के रूप में कार्य करती है। तथापि, जन हित प्रकटीकरण एवं मुखबीर संरक्षण संबंधी शिकायतें जो ग्राहकों से प्राप्त होती हैं, जिन पर कार्रवाई भारत सरकार के दिशा-निर्देश 2004 के अनुसार की जाती है और जिनका निपटान केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया जाता है।

■ संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नीति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in / www.statebankofindia.com पर कारपोरेट अभिशासन नीतियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

■ बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का उस सीमा तक अनुपालन किया है कि इस खंड की अपेक्षाओं से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन न हो।

संप्रेषण के साधन

बैंक की दृढ़ मान्यता है कि बैंक की गतिविधियों, निष्पादन और उत्पादों में की गई पहल संबंधी पूरी जानकारी तक सभी हितधारकों की पहुँच होनी चाहिए। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com पर भी प्रदर्शित किए गए थे। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है, जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा :	दिनांक 30.06.2016, समय : 03.00 बजे अपराह्न, स्थान : वाई.बी चव्हाण, सेंटर मुंबई
वित्तीय कैलेंडर	01.04.2015 से 31.03.2016
बहीबंदी की तारीख	07.06.2016 से 11.06.2016
लाभांश	₹ 2.60 प्रति शेयर
भुगतान तिथि	22.06.2016
शेयर बाजार, जिनमें प्रतिभूतियों का सूचीकरण किया गया है	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयर बाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	भौतिक शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी कर शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों को लौटा दिया जाता है। सूचीकरण करारों की शर्तों के अनुसार तिमाही शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा का समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता	मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशल सर्विसेस लिमिटेड प्लॉट बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.
बोर्ड फोन नंबर	022-6671 2001 से 10 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 6.00 बजे तक)
सीधे नंबर	022-6671 2198 / 6671 2199

ई-मेल पता	sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	(022) 6671 2204
पत्र-व्यवहार के लिए पता	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कारपोरेट केंद्र, 14 वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलिफोन नंबर	(022) 2274 0841 से 2274 0848
फैक्स	(022) 2285 5348
ई-मेल पता	gm.snb@sbi.co.in / investor.complaints@sbi.co.in
ऋणपत्र न्यासियों का नाम और संपर्क का पूरा ब्योरा (भारतीय रुपए में जारी पूंजी लिखत)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल : सेबी विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते उपलब्ध है, उन्हें हम वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करते हैं।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में एक संपूर्ण शेयर एवं बॉन्ड विभाग तथा 14 स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शेयर एवं बॉन्ड कक्ष कार्यरत हैं। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पूंजी में वृद्धि

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में, बैंक ने निम्नानुसार ईक्विटी पूंजी जुटाई है :

- पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 2969,99,99,977.08 (दो हजार नौ सौ उनहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सतहत्तर रुपए और आठ पैसे) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 2959,95,22,965.08 (दो हजार नौ सौ उनसठ करोड़ पंचानवे लाख बाईस हजार नौ सौ पैंसठ रुपए और आठ पैसे) शामिल हैं, जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹ 1/- के 10,04,77,012 ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 01.04.2015 को किया गया था।
- वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 5392,99,99,834.30 (पांच हजार तीन सौ बानवे करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹ 5373,34,40,444.30 (पांच हजार तीन सौ तियत्तर करोड़ चौतीस लाख चालीस हजार चार सौ चवालीस रुपए और तीस पैसे) शामिल हैं, जो भारत सरकार को दिनांक 29.09.2015 को आबंटित प्रति ₹ 1/- के 19,65,59,390 ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि बैंक ने ₹ 10,500 करोड़ के बेसल-3 अनुपालक टियर 2 बॉण्ड जारी एवं आबंटित किए हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में चार श्रेणियों में 120 महीनों के लिए (10 वर्षीय) जारी किए गए हैं। इस लिखत को केयर रेटिंग्स द्वारा “CARE AAA” और आईसीआरए लिमिटेड द्वारा “ICRA AAA” रेटिंग दी गई है।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी अर्थात् यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो, तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था। परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक ने एडीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2016 को बैंक के पास 1,44,59,324 जीडीआर से संबंधित 14,45,93,240 शेयर थे।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,048	2,49,290
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	32	5,420
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	32	5,420
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,016	2,43,870

ऐसे शेयरों के वास्तविक दावेदार द्वारा दावा किए जाने तक इन शेयरों के मताधिकार पर रोक लगा दी गई है।

पछले वर्षों में लाभांश

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्बाध रूप से अपने शेयरधारकों को पिछले कई वर्षों से निरंतर लाभांश का भुगतान करने की विशिष्ट परंपरा रही है।

शेयर-कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2016 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 2.71% और एनएसई निफ्टी में 2.13% रहा।

बीएसई में एसबीआई स्टॉक का निष्पादन

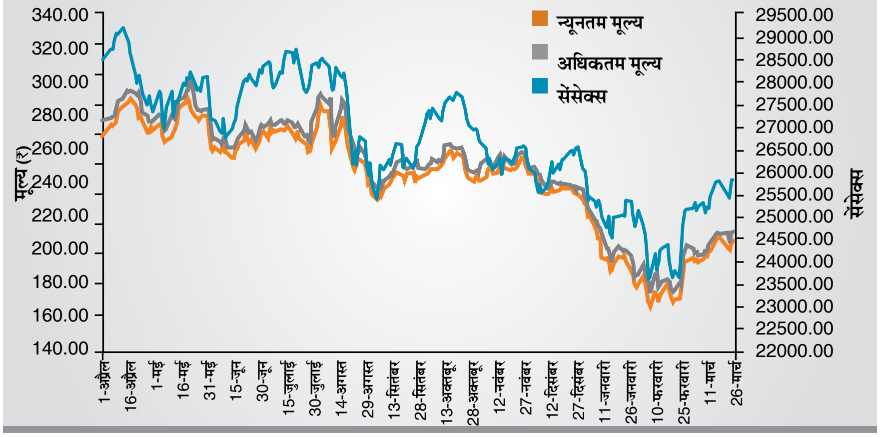

एनएसई में एसबीआई स्टॉक का निष्पादन

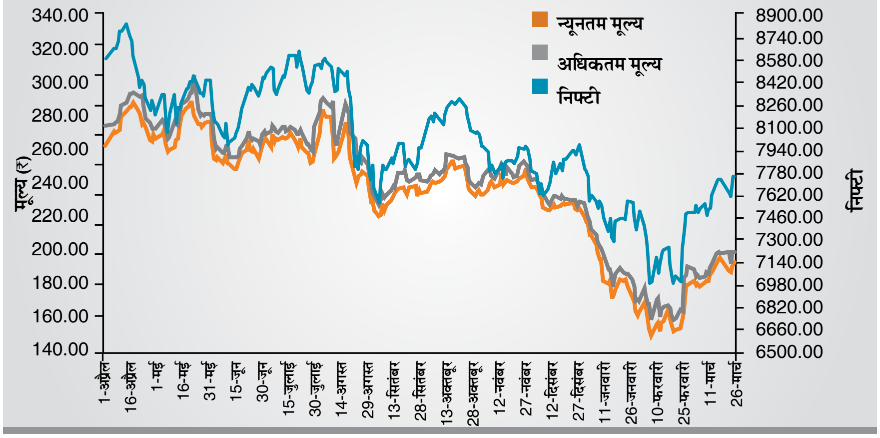

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े

	बीएसई (रुपया)		एनएसई (रुपया)		एलएसई (जीडीआर)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-15	294.50	263.85	294.90	263.15	46.40	41.70
मई-15	305.00	259.95	305.00	259.65	46.00	40.70
जून-15	281.95	249.15	282.00	248.85	43.60	39.15
जुलाई-15	274.60	252.40	274.65	252.30	42.90	38.60
अगस्त-15	291.85	240.10	291.80	240.00	45.30	35.85
सितंबर-15	248.50	220.60	248.45	220.15	37.25	33.50
अक्तूबर-15	257.90	234.90	257.15	234.40	39.25	35.75
नवंबर-15	252.90	232.85	253.00	232.70	37.45	35.35
दिसंबर-15	251.85	224.00	251.90	224.00	37.35	33.50
जनवरी-16	228.90	171.60	228.90	171.50	32.85	25.75
फरवरी-16	182.50	148.30	181.95	148.25	25.80	22.25
मार्च-16	198.75	159.00	198.75	158.55	30.00	24.30

प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 176.60, आर्थिक मूल्य वर्धित (ईवीए) : 3,875 करोड़ रुपये

31.03.2016 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	60.18
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कारपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	11.19
3	म्युचुअल फंड और यूटीआई	5.90
4	निजी कारपोरेट निकाय	2.75
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	12.65
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	7.33
	कुल	**100.00**

31.03.2016 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	60.18
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय संस्था)	11.27
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	2.08
4	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	1.86
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	1.09
6	स्केजेन कॉन-टिकी वर्डिप एपिरफांड (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.72
7	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (निजी कारपोरेट निकाय)	0.56
8	भारतीय साधारण बीमा निगम (वित्तीय संस्था)	0.54
9	आबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (विदेशी संस्थागत निवेशक)	0.53
10	एस बी आइ म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	0.50

शेयरों को डीमैट में रूपांतरित करना और चलनिधि : बैंक के इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक स्वरूप में ही की जाती है। 31 मार्च 2016 को, कुल इक्विटी पूंजी का 98.85% भाग, अर्थात 767,36,51,516 शेयर इलेक्ट्रानिक स्वरूप में है।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
एनएसडीएल	966579	2774084092	35.736
सीडीएसएल	514694	4899567424	63.116
कागजी स्वरूप में	178367	89125526	1.148
कुल	**1659640**	**7762777042**	**100.000**

31 मार्च 2016 को संवितरण अनुसूची (अंकित मूल्य ₹1 प्रति शेयर)

शेयरों की संख्या की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	रुपए में कुल धारिता	कुल पूंजी का प्रतिशत
1-5000	1651800	99.529	48,25,66,593	6.216
5001-10000	4255	0.256	3,01,34,363	0.388
10001-20000	1625	0.098	2,28,30,539	0.294
20001-30000	452	0.027	1,11,67,306	0.144
30001-40000	216	0.013	76,72,804	0.099
40001-50000	141	0.008	64,82,240	0.084
50001-100000	316	0.019	2,29,63,376	0.296
100001-से अधिक	835	0.050	717,89,59,821	92.479
कुल	**1,659,640**	**100.000**	**776,27,77,042**	**100.000**

पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियां

बैंक इस समय ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) करेंसी डेरीवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरीवेटिव्स सौदे करता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले करेंसी डेरीवेटिव्स सौदों में वायदा, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी स्वैप्स और करेंसी ऑप्शन्स सौदे होते हैं। बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का उपयोग ट्रेडिंग और तुलन-पत्र मदों दोनों के लिए किया जाता है। बैंक के ग्राहकों को अपनी जोखिम से बचाव करने के लिए बचाव उत्पाद ऑफ़र किए जाते हैं और ऐसी जोखिम की सुरक्षा के लिए बैंक डेरीवेटिव्स संविदाएं भी करता है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में ऑप्शन बुक भी संचालित करता है, जिसका विभिन्न प्रकार के लॉस सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। 31 मार्च 2016 को, लॉस सीमाओं और ग्रीक सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

डेरीवेटिव्स लेनदेनों में निम्नलिखित प्रकार की दो जोखिम रहती हैं ;

i) बाजार जोखिम, अर्थात संभाव्य हानि, जो बैंक को विनिमय दर में प्रतिकूल संचलन के कारण हो सकती है, और

ii) ऋण जोखिम, अर्थात संभाव्य हानि, जो बैंक को प्रतिपक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने के कारण हो सकती है।

डेरीवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरीवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (कट-लॉस ट्रिगर्स, ऑपन पोजिशन लिमिट, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) और ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, रिलेशनशिप की अवधि, सीमाएं और ग्राहक के लिए उपयुक्त एवं उचित नीति (सीएएस) आदि) के बारे में उल्लेख किया गया है। इस नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ ही डेरीवेटिव्स लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण रखा जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्षकार के साथ इंटरनेशनल स्वैप एवं डेरीवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

ग्राहक लेनदेनों के कारण बैंक के सामने विदेशी मुद्रा जोखिम एवं पण्य जोखिम आती है। जहां तक पण्य जोखिम का संबंध है, बैंक केवल स्वर्ण बैंकिंग व्यवसाय करता है और ये केवल ग्राहकों की ओर से ही किया जाता है। निर्धारित जोखिम सीमाओं के अंदर जोखिम का प्रबंध करने के लिए बैंक में निर्धारित नीतियां और प्रणाली एवं कार्यविधि लागू है। बैंक के पास विश्व श्रेणी का डिलिंग रूम है जिसका प्रबंध सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी डीलरों द्वारा किया जाता है जिससे कि रक्षात्मक परिचालन एवं बचाव लेनदेन किए जा सके।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव्स लेनदेनों से जुड़ी हुई बाजार जोखिम का निर्धारण, मापन, निगरानी करता है। बैंक ऑफिस परिचालनों का प्रबंध जीएमयू कोलकाता द्वारा किया जाता है।

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2016 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म दिनांक : 1 अक्तूबर 1951)

श्री मल्होत्रा को वैश्विक बैंकिंग एवं वित्त के वरिष्ठ पदों पर 41 वर्षों का अनुभव है। जोखिम प्रबंधन, कारपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी उनके अनुभव के क्षेत्र हैं।

श्री एम. डी. माल्या

(जन्म दिनांक : 9 नवंबर 1952)

श्री माल्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाकर बैंक की कायापलट कर दी थी।

श्री माल्या मई 2008 से नवंबर 2012 तक बैंक ऑफ बडौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। उनके प्रेरक नेतृत्व एवं नवोन्मेषी कार्यनीतिक पहल से बैंक ने निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त की, जिससे बैंक को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार मिले और व्यापक पहचान प्राप्त हुई।

श्री सुनील मेहता

(जन्म दिनांक : 22 अगस्त 1957)

श्री सुनील मेहता को सिटी बैंक एण्ड एआईजी में बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं और निवेश संबंधी कार्यों का 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 13 वर्ष तक एआईजी के भारत में कामकाज के प्रमुख के रूप में श्री मेहता जीवन और गैर-जीवन बीमा, प्राइवेट ईक्विटी, आस्ति प्रबंधन, स्थावर संपदा, आवास एवं उपभोक्ता वित्त, सॉफ्टवेयर सृजन, बंधक गारंटी और वायुयान पट्टे सहित 10 प्रकार के व्यवसायों की भारत में स्थापना और निगरानी के लिए उत्तरदायी रहे हैं। श्री मेहता ने सिटीबैंक में 18 वर्ष तक विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया, जिसमें कारपोरेट बैंक के भारत के प्रमुख का पद और वरिष्ठ ऋण अधिकारी का पद भी शामिल है। इस समय वे एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और अन्य कई प्रमुख संगठनों के बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। श्री मेहता अनेक गैर लाभ संगठनों से निकट रूप से जुड़े हुए हैं। वे अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स (एएमसीएचएएम) इंडिया, यूनाइटेड वे ऑफ इंडिया एंड मुंबई और एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड इनक्लुज़न (पूर्व में दी स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया) के पूर्व चेयरमैन हैं। श्री मेहता कई गैर लाभकारी संगठनों के बोर्ड में हैं जिनमें एशिया सोसाइटी भी एक है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स् ऑफ इंडिया के फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा व्हार्टन स्कूल ऑफ मेनेजमेंट, युनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिल्वेनिया, यू एस ए के पूर्व छात्र हैं।

श्री दीपक आई. अमिन

(जन्म दिनांक : 20 अप्रैल 1966)

श्री अमिन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस. उपाधि प्राप्त हैं। श्री अमिन सीटल और भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी कोविलिक्स, इंक (एमटेक आइएनसी द्वारा अधिग्रहित) के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं। इससे पहले श्री अमिन वीजंगल, इंक, वेब सेवा सॉफ्टवेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं जिसे स्ट्रीमसर्व, इंक ने अधिग्रहित किया था। श्री अमिन ने माइक्रोसॉफ्ट में कई वर्षों तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्किंग टीमों में लीड इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वे माइक्रोसॉफ्ट, यूएसए में मूल इंटरनेट ब्राउजर टीम में वरिष्ठ इंजीनियर रहे हैं। श्री अमिन नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुहम्मद यूनस की टैक्नॉलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ग्रामीण फाउंडेशन में भी शामिल हैं जो विश्व की निर्धनतम महिलाओं के वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिए प्रगामी वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

(जन्म दिनांक : 15 जनवरी 1959)

श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 29 अगस्त 2013 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चतुर्वेदी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली के वरिष्ठ भागीदार हैं। उन्हें वित्त एवं लेखा, कराधान और कारपोरेट-विधि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव तथा विशेषज्ञता है। श्री चतुर्वेदी पूर्व में (27 दिसंबर 2008 से 26 दिसंबर 2011 तक) तीन वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक निदेशक रह चुके हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी के बोर्ड में 30.06.2004 से 11.06.2007 तक तीन वर्ष के लिए निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था।

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

(जन्म दिनांक : 29 मई 1946)

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. आहूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकादमिक सदस्य हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कराधान, संयुक्त उद्यम आदि में परामर्श का 44 वर्षों का अनुभव है। प्रत्यक्ष करों का उन्हें विशेष ज्ञान है। वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों - पूंजी बाजार कुशलता तथा संविभाग निवेश में डॉक्टरेट हैं।

डॉ. पुष्पेन्द्र राय

(जन्म दिनांक : 02 जून 1953)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक डॉ. पुष्पेन्द्र राय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य का लगभग 37 वर्षों का अनुभव है।

वे 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे। इस दौरान वे नीति निर्माण, कार्यक्रम और बजट की तैयारी, कार्यान्वयन कार्यनीतियों का निर्धारण, कार्यान्वयन की निगरानी, ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों के स्टाफ के निष्पादन का मूल्यांकन, बिजली उत्पादन और वितरण विभाग, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने यूएनडीपी/डब्ल्यूआइपीओ के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्य, विदेशी निवेश उन्नयन परिषद् के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्यपालक निदेशक, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआइपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।

तदनंतर, डॉ. राय ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ) में 16 वर्ष तक कार्य किया। वहाँ तकनीकी सहयोग बढ़ाने, बौद्धिक संपदा के आर्थिक पहलुओं का उन्नयन और आस्ति सृजन, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व और सिंगापुर में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।

डॉ. राय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी. और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए हैं।

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

(जन्म दिनांक : 27 अगस्त 1957)

सुश्री अंजुलि चिब दुग्गल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 3 सितंबर 2015 से केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। सुश्री अंजुली चिब दुग्गल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में सचिव हैं।

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

(जन्म दिनांक : 28 अक्तूबर 1963)

डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 6 फरवरी 2013 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. ऊर्जित आर. पटेल भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर हैं।

अनुलग्नक II

31.03.2016 को बोर्ड-निदेशकों /बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशकों के संबंध में विवरण जो बैंक / अन्य कंपनियों के सदस्य/अध्यक्ष हैं

क्र.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या (विवरण अनुलग्नक II ए में दिया गया है)
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	अध्यक्ष नं. 5, डुने डिन, जे.एम. मेहता रोड, मुंबई - 400 006	07.10.2013	अध्यक्ष : 15 निदेशक : 01
2	श्री बी. श्रीराम	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्लेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	17.7.2014	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
3	श्री वी. जी. कन्नन	प्रबंध निदेशक डी-11, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	17.07.2014	निदेशक : 19 समिति सदस्य :06
4	श्री रजनीश कुमार	प्रबंध निदेशक डी-10 किन्लेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	26.05.2015	निदेशक : 03 समिति सदस्य : 01
5	श्री पी. के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	02.11.2015	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
6	श्री संजीव मल्होत्रा	चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 मोटाभाई मेंशन, 130 महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2014	निदेशक : 01
7	श्री एम. डी. माल्या	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक सी-601, अशोक टावर्स, डॉ. एस.एस. राव मार्ग, एम.जी. हास्पिटल के सामने, परेल, मुंबई - 400012	26.06.2014	निदेशक : 12 समिति के अध्यक्ष : 03 समिति के सदस्य : 05
8	श्री सुनील मेहता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस पी एम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. 203-ए, विवारिया साने गुरुजी मार्ग, महालक्ष्मी (पूर्व), मुंबई - 400 011	26.06.2014	निदेशक : 04 समिति के अध्यक्ष : 01 समिति के सदस्य : 01
9	श्री दीपक आई. अमिन	सलाहकार 104 नील कंठ तीर्थ 6ठा रोड, चेम्बूर मुंबई - 400 071	26.06.2014	निदेशक :02 समिति सदस्य : 01
10	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	चार्टर्ड अकाउंटेंट मेसर्स टीएन चतुर्वेदी एंड कंपनी, 406, चिरंजीव टावर, 43 नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110 019	29.08.2013	निदेशक : 01
11	डॉ. गिरीश के. आहूजा	चार्टर्ड अकाउंटेंट मेसर्स जी.के. आहूजा एंड कंपनी, ई-6ए, एलजीएफ, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 048	28.01.2016	निदेशक : 05 समिति सदस्य : 02
12	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	विकास विशेषज्ञ (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय सरकारी नौकरशाह) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057	28.01.2016	निदेशक : 01
13	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल (भारत सरकार की नामिती)	सचिव (वित्तीय सेवाएं), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001	03.09.2015	निदेशक : 03 समिति सदस्य : 01
14	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती)	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001	06.02.2013	निदेशक : 03 समिति सदस्य : 02

अनुलग्नक II ए

बैंक @/ उन अन्य कंपनियों की कुल संख्या जिनमें 31.03.2016 को बोर्ड-निदेशक /बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

(@सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 26(1) के अनुसार केवल लेखापरीक्षा समिति एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को ही दर्शाया गया है)

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष
8	एसबीआई पेंशन फंड्स पी. लि.	अध्यक्ष
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष
10	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट पी. लिमिटेड	अध्यक्ष
11	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष
12	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष
13	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष
14	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष
15	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष
16	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक

2. श्री बी. श्रीराम

क्र सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

3. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	बोर्ड की हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	निदेशक	-
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	निदेशक	-
4	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	निदेशक	-
5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	निदेशक	-
6	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	निदेशक	-
7	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
8	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	निदेशक	
9	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
10	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
11	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	निदेशक	
12	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति- सदस्य
13	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
14	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
15	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	निदेशक	
16	एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड	निदेशक	
17	एसबीआई कैप सिंगापुर लि.	निदेशक	
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	
19	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	

4. श्री रजनीश कुमार

क्र सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	निदेशक	
3	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	

5. श्री. पी. के. गुप्ता

क्र सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

6. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	

कारपोरेट अभिशासन

7. श्री एम. डी. माल्या

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@ हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	शेयरधारक संबंध समिति - अध्यक्ष बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
2	इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
3	नीतेश इस्टेट्स लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
4	ईमामी लिमिटेड	निदेशक	-
5	नीतेश हाउसिंग डेवलपर्स (प्रा.) लि.	निदेशक	-
6	नीतेश अर्बन डेवल्पटमेंट (प्रा.) लि.	निदेशक	-
7	नीतेश इंदिरानगर रिटेल (प्रा.) लि.	निदेशक	-
8	आईएफएमआर रूरल चैनल एण्ड सर्विसेज (प्रा.) लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष
9	सेवन आइलैंड्स शिपिंग लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
10	पुदुआरु फाइनैंशियल सर्विसेज लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
11	इंटरग्लोब एविएशन लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष
12	कॉफी डे एंटरप्राइजेस लि.	निदेशक	-

8. श्री सुनील मेहता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	आईएलएण्डएफएस एएमसी ट्रस्टी लि.	निदेशक	
3	एशिया सोसायटी इंडिया सेंटर (धारा 25 कंपनी)	निदेशक	-
4	एसपीएम कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि.	अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक	-

9. श्री दीपक आई. अमिन

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
2	रेडियन एडवाइजर्ज प्रा. लि.	निदेशक	-
3	फाइव विलेजेस एंटरप्राइजेस एलएलपी (भागीदारी फर्म)	भागीदार	-

10. श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	-

11. डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य@
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य
2	फ्लेयर पब्लिकेशंस प्रा.लि.	निदेशक	-
3	देवयानी इंटरनेशनल लि.	निदेशक	-
4	वरुणा बिवरेजेस लि.	निदेशक	-
5	देवयानी फूड स्ट्रीट प्रा. लि.	निदेशक	-

12. डॉ. पुष्पेन्द्र राय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	

13. सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
3	नेशनल फाइनेंशल होल्डिंग्स कंपनी लि.	निदेशक	-

14. डॉ. ऊर्जित आर. पटेल

क्र सं.	.कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति (यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
2	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य
3	नेशनल हाउसिंग बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - सदस्य

अनुलग्नक - III

31.03.2016 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	31.03.2016 को शेयरों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	2000
2	श्री बी. श्रीराम	500
3	श्री वी. जी. कन्नन	3855
4	श्री रजनीश कुमार	निरंक
5	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	4900
6	श्री संजीव मल्होत्रा	8800
7	श्री एम. डी. माल्या	5000
8	श्री सुनील मेहता	5000
9	श्री दीपक आई. अमिन	5000
10	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	2000
11	श्री गिरीश के. आहूजा	2000
12	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	निरंक
13	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	निरंक
14	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल	निरंक

अनुलग्नक IV

वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	130000	415000	545000
2	श्री एम. डी. माल्या	150000	565000	715000
3	श्री सुनील मेहता	210000	735000	945000
4	श्री दीपक आई. अमिन	150000	630000	780000
5	डॉ. राजीव कुमार	10000	5000	15000
6	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	100000	90000	190000
7	श्री हरिचंद्र बहादुर सिंह	60000	135000	195000
8	श्री एस.के. मुखर्जी	70000	25000	95000
9	डॉ. गिरीश के आहूजा	40000	20000	60000
10	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	40000	20000	60000

अनुलग्नक V

भारतीय स्टेट बैंक

घोषणा

बैंक की आचार संहिता (2015-16) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करती हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

दिनांक : 18 अप्रैल 2016

प्रकटीकरण अपेक्षाएं

(सेबी सूचीकरण दायित्व विनियम, 2015 का विनियम 27)

1. **दि बोर्ड** - चूंकि बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष है, इसलिए यह लागू नहीं है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** - बैंक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अपने अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रकाशित करता है। अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। तथापि, बैंक प्रत्येक शेयरधारक के पते पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम नहीं भेजता है।
3. **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विकल्प** - 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई लेखा-परीक्षा संशोधन नहीं है।
4. **अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग पद** - अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है।
5. **आंतरिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टिंग** - आंतरिक लेखा-परीक्षक (उप प्रबंध निदेशक - निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा) सीधे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने, वर्मा एण्ड वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 004532S), और भारतीय स्टेट, इसका कॉरपोरेट केन्द्र स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड़, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन-400 021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जो 1 अप्रैल 2015 से 30 नवंबर 2015 तक की अवधि के लिए भारत में शेयर बाजारों के साथ बैंक के सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित की गई है और 1 दिसंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जाँच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त यथा प्रयोज्य सूचीकरण करार में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।
हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 004532S

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता सं. 16043

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 मई 2016

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में:

बैंक की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है और यह 4थी रिपोर्ट है। सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 4 नवंबर 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसार उन कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट को शामिल करना अनिवार्य है, जिन्होंने बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रति वित्त वर्ष 31 मार्च को परिकलन किया जाता है) के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में स्थान पाया है। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट समाविष्ट है, को बैंक की वेबसाइट पर www.sbi.co.in/www.statebankofindia.com पर एक अलग लिंक http://www.sbi.co.in/portalweb/ corporate-governance/sr2016 के अंतर्गत रखा गया है। कोई भी शेयरधारक जो इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें इस पते पर लिख सकते हैं या ई-मेल कर सकते हैं: महाप्रबंधक शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड मुंबई - 400 021. ई-मेल पता : gm.snb@sbi.co.in